न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 150/2019 **दायरा दिनांक : 18.11.2019**

उनवान

1. कालूलाल उर्फ कालूसिंह आयु 81 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल, जाति राठी, निवासी बमोरीकला, तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल निवासी श्यामनगर, रावत भाटा रोड़, कोटा, जिला कोटा राज0

.... अपीलांट

बनाम

1 बरफाबाई आयु 55 वर्ष पत्नि स्व0 श्री माणकचंद, जाति राठी, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0

2 बृजेश आयु 38 वर्ष पुत्र स्व0 श्री माणकचंद, जाति राठी, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0

3 मूर्ति आयु 35 वर्ष पुत्री स्व0 श्री माणकचंद, जाति राठी, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0

4 अंतिमा आयु 28 वर्ष पुत्री स्व0 श्री माणकचंद, जाति राठी, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0

5 नीतू आयु 25 वर्ष पुत्री स्व0 श्री माणकचंद, जाति राठी, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0

6 सविता आयु 23 वर्ष पुत्री स्व0 श्री माणकचंद, जाति राठी, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0

7 हर्षिता उम्र 21 वर्ष पुत्र स्व0 श्री माणकचंद, जाति राठी, निवासी बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गौतम एवं श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 24.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 372/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बमोरीकला पटवारी हल्का बमोरीकला, तहसील मांगरोल में आराजी खसरा नम्बर 1451 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 1452 रकबा 1.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 1453 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 1454 रकबा 0.43 हेक्टर, खसरा नम्बर 1455 रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 1456 रकबा 0.71, खसरा नम्बर 1457 रकबा 0.38 हेक्टर कुल 7 किता कुल रकबा 3.48 हेक्टर आराजी स्थित है । उक्त आराजी पैत्रिक है जो प्रतिवादी कालूलाल उर्फ कालूसिंह को उनके पिता मथुरा लाल से विरासत में प्राप्त हुई है । वादिया कम 1 कालू लाल की पुत्र वधू है शेष वादीगण 2 लगायत 7 प्रतिवादी कम 1 कालू लाल के मृतक पुत्र माणकचन्द के वारिसान है । प्रतिवादी कम 1 के एक पुत्र और मुकेश है जो जीवित है तथा कोटा रहकर व्यवसाय करता है । प्रतिवादी कम 1 ने स्वैच्छा से करीब 15 वर्ष पूर्व अपने पुत्र स्वर्गीय माणक चन्द के जीवनकाल में ही उक्त आराजी का हिस्सा विभाजन 1/3, 1/3 के हिसाब से करके करीब 7 बीघा आराजी अपने पुत्र माणकचन्द व उसके वारिसान को जीवनयापक हेतु दे दी थी । उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण के 1/3 हिस्से खातेदारी की घोषणा की जाकर वादीगण का हिस्सा अलग किया जावे । उसका राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे व प्रतिवादी कम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को 1/2 हिस्सा अनुसार काश्त व उपयोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित की है । निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं विधि के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के विपरीत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के परिवार के

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सजरे को नहीं दर्शाया गया है । अपीलांट के 6 पुत्रियां व दो पुत्र हैं, कभी भी 1/3, 1/3 हिस्सा नहीं किया गया है । वादीगण का 1/3 हिस्सा बनता भी नहीं है पक्षकारान भी नहीं बनाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर त्रुटि की है । अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2018 अपास्त की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.10.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने दावा किया है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसमें 1/3 हिस्सा बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रकरण का निर्णय कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि कालूलाल ने माणकचन्द को 1/3 हिस्सा दे कर परिवार से अलग कर दिया । वादीगण अपीलांट माणकचन्द के वारिसान हैं । अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय में सूचना थी फिर भी वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में ए. आई. आर. 1979 पेज 1881 पेश की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 27.06.2016 को अपीलांट प्रतिवादी को तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. करवाने के आदेश अंकित हैं जो पत्रावली में मौजूद है । दिनांक 05.12.2016 को अपीलांट प्रतिवादी की तामील प्रति लौट कर नहीं आना एवं अपीलांट प्रतिवादी नम्बर 1 को पुनः रजिस्टर्ड ए.डी. तलबी जारी करने के आदेश हैं लेकिन पत्रावली में इस प्रकार की कोई तलबी की प्रति सलंग्न नहीं है और आदेशिका दिनांक 10.05.2017 को अपीलांट प्रतिवादीगण की तलबी होना दर्शाया गया है और दिनांक 23.08.2018 को अपीलांट प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अमल में लाया जाना दर्शाया गया है, जो उचित नहीं हैं । अपीलांट प्रतिवादीगण की तलबी सी. पी. सी. के प्रावधानों के विपरीत है । अतः इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.09.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.07.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा